न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 24/2018
RCMS Case No. 2018/00367

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. हापूराम पुत्र ढगलाराम 2. चुन्नीलाल पुत्र ढगलाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण रेन्दड़ी तहसील सोजत		1. जगदीश पुत्र मोहनलाल 2. मांगीलाल पुत्र मोहनलाल 3. गोदावरी पुत्री मोहनलाल 4. श्रीमती कमलादेवी पत्नी मोहनलाल जातिगण मेघंवशी निवासीगण बागावास तहसील सोजत 5. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति बावरी निवासी चौकिदारों का बास, बांझाकुड़ी तहसील जैतारण जिला पाली 6. तहसीलदार भूमिधारक सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित :–
श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 6/8/2019

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रस्तुत कर अपील हाजा में होने वाली आगामी कार्यवाही को रोकन का निवेदन किया। इस पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जिस नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है, उसमें वर्णित भूमि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश सोजत में सिविल मूल वाद संख्या 38/2018 एवं सिविल विविध प्रकरण संख्या 33/2018 बअनवान हापूराम बनाम जगदीश बगैरा विचाराधीन हैं, जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए हैं। इस स्थिति में जब तक माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक हस्तगत अपील की कार्यवाही को रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। अतः माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक हस्तगत अपील की आगामी कार्यवाही को रोकने का आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि जिस भूमि के बेचान को लेकर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है, उस भूमि के

अति० जिला कलेक्टर, पाली

बेचान के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट द्वारा इकरारनामा निष्पादित करवाया गया था, किन्तु जब रेस्पोडेन्ट अपनी बात से मुकरने लगा, तो अपीलाण्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 01.06.2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया। जिसकी सूचना अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का को प्रदान करते हुए पटवारी से दिनांक 02.06.2018 को राजस्व रेकर्ड की नकल ली गई, इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा बैक डेट में नामान्तरकरण दायर करते हुए तहसीलदार सोजत से दिनांक 06.06.2018 को नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया, जो दौराने स्थगन दायर किए जाने से खारिज़ योग्य हैं। अब जहां तक धारा 10 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, तो उक्त प्रावधान वाद की कार्यवाही पर लागू होते हैं, हस्तगत अपील में धारा 10 के प्रावधान बाध्यकारी नहीं हैं। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में जैर अपील नामान्तरकरण बेचान रजिस्ट्री दिनांक 02.05.2018 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.05.2018 को दायर किया जाना अंकित है, जिस पर भू0अ0नि0 द्वारा दिनांक 01.06.2018 को जांच किए जाने के पश्चात दिनांक 06.06.2018 को तहसीलदार सोजत द्वारा नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया गया हैं। अपीलाण्ट का यह उज्र है कि पटवारी हल्का द्वारा गत तारीख में नामान्तरकरण दायर किया है, जिसे तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी स्वीकार किया गया हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा संविदा की विर्निदिष्ट पालना हेतु माननीय सिविल न्यायालय में वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2018 को स्थगन आदेश पारित करते हुए प्रकरण में विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं। चूंकि हस्तगत अपील में विवादित आराजी तथा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश से प्रभावित विवादित आराजी एक ही हैं। तद्नुसार अपील हाजा में होने वाली आगामी कार्यवाही उक्त स्थगन आदेश से प्रभावित होंगी। इस कारण अपील में होने वाली आगामी कार्यवाही को रोका जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणाम स्वरूप रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश सोजत में सिविल मूल वाद संख्या 38/2018 एवं सिविल विविध प्रकरण संख्या 33/2018 बअनवान हापूराम बनाम जगदीश वगैरा के अन्तिम निर्णय तक हस्तगत अपील को Keep in abeyance रखते हुए अपील का निस्तारण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 6/8/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली